राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

रेक्टीफिकेशन संख्या– 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 / 2017 / अजमेर

मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड,
ब्यावर, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, अजमेर। .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम.एल.पाटौदी, ...प्रार्थी की ओर से
अधिवक्ता
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.03.2018

निर्णय

1. प्रार्थी–व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 539 से 545 / 2010 / अजमेर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 16.03.2017 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये है।

2. सभी प्रकरणों में अन्य बिन्दुओं के अलावा एक यह बिन्दु भी विवादित था कि रिप्स योजना, 2003 के तहत जो सब्सिडी उन्हें जारी की जानी चाहिये थी उसमें से आस्थगन योजना के तहत प्राप्त लाभ अनुसार आस्थगित 'कर' राजकोष जमा नहीं हुआ था। अतः उस राशि की सीमा तक सब्सिडी जारी नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में निर्णय के समय उक्त बिन्दु पर कोई आदेश दिया जाना भूल से छूट गया है। राज्य सरकार द्वारा डेफर्ड टैक्स जमा होने के पश्चात सब्सिडी का लाभ दिया जाने हेतु अधिसूचना संख्या F4(18)FD/TAX-DIVISION/2001 DATED 10-10-2008 के बिन्दु संख्या 5 में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है एवं इसी बिन्दु पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1323 / 2014 / कोटा निर्णय 04.01.2018 में आस्थगन योजना के संबंध में उक्त अधिसूचना अनुसार लाभ दिये जाने का आदेश किया जा चुका है।

लगातार.....2

3. परिशोधन प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों के तर्क सुने गये।

4. कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2017 में आस्थगन योजना के तहत जमा होने वाले कर के विरुद्ध रिप्स, 2003 के तहत सब्सिडी प्रदान नहीं करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया था, जबकि उक्त निर्णय के मूल पाठ एवं तथ्यों के पैरा संख्या 4 एवं 5 में इसका वर्णन किया गया था। अतः व्यवहारी के संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त संयुक्त अपीलीय निर्णयों मे उक्त बिन्दु पर निम्नानुसार आदेश किया जाता है।

"उक्त समस्त मूल अपीलों में व्यवहारी के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा डेफरमेंट की राशि जमा करवाने के पश्चात उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जावे। फलतः इस बिन्दु पर प्रकरण क.नि.अ. को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते है कि राज्य सरकार की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 10.10.2008 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार सब्सिडी दिये जाने हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करें।"

5. फलतः उपरोक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर समस्त अपीलें आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.03.2017 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगें।

07/03/18

(के.एल.जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य